भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद
INDIAN COUNCIL OF AGRICULTURAL RESEARCH
कृषि भवन, डॉ0 राजेन्द्र प्रसाद मार्ग, नई दिल्ली–110 001
Krishi Bhawan, Dr. Rajendra Prasad Road, New Delhi 110 001

फा.सं. रा.भा. 7(1)2013-हिन्दी **दिनांक: 05 अगस्त, 2014**

कार्यालय आदेश

विषय:- राजभाषा नियम, 1976 के नियम 10(4) के अंतर्गत अधिसूचित परिषद मुख्यालय के अनुभागों को नियम 8(4) के अंतर्गत अधिकांश कार्य हिन्दी में करने के लिए विनिर्दिष्ट करना।

उपर्युक्त विषय में यह कहना है कि परिषद मुख्यालय में हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने के लिए दिनांक 17 जनवरी, 2008 को 11 अनुभागों अर्थात (1) कार्मिक-II, (2) सामान्य प्रशासन (3) स्थापना-V, (4) संस्थान प्रशासन-IV, (5) लेखा परीक्षा-I, (6) लेखा परीक्षा-II, (7) लेखा परीक्षा-III, (8) लेखा-I, (9) पुस्तकालय, (10) स्थापना-III, और (11) आंतरिक वित्त को आदेश दिया गया था कि वे अपना शासकीय प्रयोजन हेतु अपना कार्य हिन्दी में करेंगे।

परिषद में हिन्दी के प्रयोग को और अधिक बढ़ाने तथा राजभाषा विभाग द्वारा जारी वर्ष 2014-15 के वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने के उद्देश्य से दिनांक 24-06-2014 को सम्पन हुई संयुक्त राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक में यह निर्णय: लिया गया था कि उपर्युक्त 11 अनुभागों के अतिरिक्त कुछ और अनुभागों को भी शासकीय प्रयोजनों के लिए हिन्दी का प्रयोग करने के लिए विनिर्दिष्ट किया जाए। इसी संदर्भ में निम्मलिखित अनुभागों को नियम 8(4) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट किया जाता है:-

(1) कार्मिक-III,(2) संस्थान प्रशासन-III,(3) मानव संसधान विकास (HRD), (4) संस्थान प्रशासन-II (कृषि अभि0) और (5) कृषि अभियांत्रिकी अनुभाग

इस प्रकार अब परिषद मुख्यालय में कुल 16 अनुभाग शासकीय प्रयोजनों के लिए हिन्दी का प्रयोग करने के लिए विनिर्दिष्ट किए जाते हैं। उपर्युक्त सभी अनुभागों को निदेश दिया जाता है कि वे उपर्युक्त अनुदेशों का पालन सुनिश्चित करें और अपना शत प्रतिशत प्रशासनिक कार्य हिन्दी में करें।

(अरविंद आर. कौशल)
सचिव, भा.कृ.अ.प

<u>वितरण:</u>

1. भा.कृ.अ.प के सभी अधिकारी/अनुभाग, जिसमें पूसा स्थित कृषि अनुसंधान भवन-I और II भी शामिल है।
2. कार्मिक-II/ सामान्य प्रशासन/ स्थापना-V/ संस्थान प्रशासन-IV/ लेखा परीक्षा-I/ लेखा परीक्षा-II/ लेखा परीक्षा-III/ लेखा-I/ पुस्तकालय/ स्थापना-III/ आंतरिक वित्त/ कार्मिक-III/ संस्थान प्रशा-III/ मानव संसाधन विकास (HRD)/ संस्थान प्रशा.II (कृषि अभि.) और कृषि अभियांत्रिकी अनुभाग को आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
3. गार्ड फाइल।